संख्या-29/2018/2915 /52-1-2017-21(एम०एस०डी०पी०)/17 टी०सी०-।

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी, 2018

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद- जालौन में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं जनपद-श्रावस्ती में 03 पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा जनपद-आजमगढ़ में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य को कराने हेतु कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश जल निगम लि०, लखनऊ को अधिकृत करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद-जालौन में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं जनपद-श्रावस्ती में 03 पेयजल योजनाओं तथा जनपद-आजमगढ़ में 03 पेयजल योजनाओं हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 1335.63 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू० 6,67,81,000/- (रू० छः करोड़ सरसठ लाख इक्यासी हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 4,45,21,000/- (रू० चार करोड़ पैंतालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू० 11,13,02,000/- (रू० ग्यारह करोड़ तेरह लाख दो हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017-18 में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राविधानित बजट रू० 2000.00 लाख में से रू० 31.15 लाख एवं पाइप पेयजल योजना के लिए प्राविधानित बजट रू० 1000.00 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू० 11.00 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू० 21.00 करोड़ में से रू० 1081.87 लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू० लाख में)

क्र0	जनपद	विकास खण्ड	भारत सरकार के पत्र सं0 व दि0	योजना/ प्रस्तावित स्थल	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	वर्तमान में अवमुक्त प्रथम किश्त		वर्तमान में कुल अवमुक्त धनराशि (के०$रा०)
										के0	रा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आजमगढ़	सठियांऊ	3/19(40)/ 13-पी0पी0- दि0 30.03.17	पेयजल आपूर्ति योजना	01	450.00	270.00	180.00	450.00	135.00	90.00	225.00

Shasanadesh.up.nic.in

	आजमगढ़	मुबारकपुर	3/19(40)/ 13-पी0पी0- दि0 30.03.17	पेयजल आपूर्ति योजना	01	659.01	395.41	263.60	659.01	197.70	131.80	329.50
	”	मिर्जापुर	”	”	01	142.05	85.23	56.82	142.05	42.62	28.41	71.03
2	जालौन	कोंच	3/19(47)/ 13-पी0पी0(पी०टी०)- दि0 30.03.17	हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	85	0.73	37.38	24.92	62.30	18.69	12.46	31.15
3	श्रावस्ती	सिरसिया	3/19(18)/ 13-पी0पी0 दि0 31.03.17	पेयजल आपूर्ति योजना	01	361.67	217.00	144.67	361.67	108.50	72.335	180.835
	”	जमुनाहा	”	”	01	116.55	69.93	46.62	116.55	34.96	23.31	58.27
	”	”	”	”	01	434.47	260.68	173.79	434.47	130.34	86.895	217.235
				योग	91	2164.48	1335.63	890.42	2226.05	667.81	445.21	1113.02

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 06 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित/स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में किये गये एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, पेयजल योजना के फोटोग्राफ्स तथा स्थल की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

Shasanadesh.up.nic.in

7- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

8- शासनादेश दिनांक 03 अगस्त 2017 एवं 26-8-2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

9- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

10- पाइप पेयजल योजना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना के अधिष्ठापन के मानक, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो पेयजल योजना के अधिष्ठापन से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

11- जनपद- जालौन में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं जनपद-श्रावस्ती में 03 पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा जनपद-आजमगढ़ में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

12- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

13- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

14- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

15- उक्त परियोजनाओं में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (के0 50/रा0 50-के०+रा०)-24-वृहत् निर्माण कार्य से एवं पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु लेखा शीर्षक-0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50-के०+रा०)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

Shasanadesh up.nic.in

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-64/दस-2018, दिनांक 13.01.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-2915(1)/बावन-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद- जालौन में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं जनपद-श्रावस्ती में 03 पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा जनपद-आजमगढ़ में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत जनपद- जालौन में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं जनपद-श्रावस्ती में 03 पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा जनपद-आजमगढ़ में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-आजमगढ़, जालौन एवं श्रावस्ती।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

handpump

Shasanadesh.up.nic.in